[श्री संजीव कुमार]

महोदय, मेरे द्वारा राज्य सभा में पिछले उठाए गए मामलों का रिकॉर्ड यह साबित करता है कि ADGP रैंक का एक पुलिस ऑफिसर, जो राज्य सभा चुनाव में एक विधायक पर दबाव डाल रहा था और राज्य सभा में मेरे द्वारा इस मामले को उठाने के बाद निर्वाचन आयोग ने उसके खिलाफ एफआईआर लॉज करने का आदेश दिया था, वह अब भी अपने पद पर विद्यमान है। महोदय, जहां झारखंड में गरीब आदिवासियों की भूख से मौत हमें पूरे संसार के सामने शर्मसार करती है, वहीं हाल ही में स्थानीय नीति के मामले में चर्चा मांगने पर विधान सभा सतह पर जिस प्रकार आदिवासी नेता प्रतिपक्ष को..

श्री सभापतिः संजीव जी।

श्री संजीव कुमारः मुख्य मंत्री ने गाली-गलौज की, वह साबित करता है कि झारखंड में लोग भूख से क्यों मर रहे हैं? अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि झारखंड जो सबसे ज्यादा लोहा, तांबा और खनिज देता है, वहां पर आदिवासियों की जो भूख से मौत हो रही है, वह शर्मसार करने वाली घटना है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश)ः महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं अपने आपको इससे सम्बद्ध करती हूं।

श्री मोहम्मद अली खान (आंध्र प्रदेश)ः महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं भी अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं।

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र)ः महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं भी अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं।

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

DR. KARAN SINGH (NCT of Delhi): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by Mr. Sanjiv Kumar.

Need to increase the Minimum Support Price for paddy crop

श्री दिलीप कुमार तिर्की (ओडिशा)ः सभापति महोदय, ओडिशा देश का एक rice growing state है। करीबन 60 लाख किसान ओडिशा में चावल की खेती करते हैं, लेकिन आज धान पर M.S.P. काफी कम होने के कारण उन किसानों के लिए काफी बड़ा क्राइसिस हो गया है। ओडिशा की राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार एक क्विंटल चावल के उत्पादन पर किसान का 2,344 रुपये का खर्चा आता है। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट धान पर सिर्फ 1,550 रुपये M.S.P. दे रही है। आज खेती में बीज, सिंचाई, मजदूरी, खाद हर चीज़ की कीमत बहुत बढ़ रही है, लेकिन फसल की जो कीमत है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है। इसी कारण पूरे देश में धान पैदा करने वाले किसान परेशान हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ओडिशा की स्टेट असेम्बली ने हाउस कमेटी की सिफारिश पर एकमत से धान का M.S.P. 2,930 रुपये प्रति क्विटल करने का

प्रस्ताव पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था। मगर दुख की बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हमारे मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने भी प्रधान मंत्री जी को इस बारे में खत लिखा है। एनडीए सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में M.S.P. की मदद डेढ़ गुना करने की बात कही थी, मगर हकीकत में यह आज भी लागत मूल्य से काफी कम है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि देश के करोड़ों किसानों और ओडिशा के लाखों किसानों के हितों की रक्षा के लिए paddy का M.S.P. तत्काल बढ़ाकर कम से कम 2,930 रुपये किया जाए, धन्यवाद।

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं।

श्री सभापतिः ठीक है, सबका नाम जुड़ जाएगा, धन्यवाद।

श्री विवेक के. तन्खा (मध्य प्रदेश): महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं भी अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं।

श्री ए.यू. सिंह दिव (ओडिशा): महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं भी अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं।

श्री शमशेर सिंह ढुलो (पंजाब): महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं भी अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं।

श्री राम कुमार कश्यप (हरियाणा): महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं भी अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं।

श्री सुरेंद्र सिंह नागर (उत्तर प्रदेश): महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं भी अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं।

श्री अशोक सिद्धार्थ (उत्तर प्रदेश): महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं भी अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं भी अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं भी अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं।

श्री आलोक तिवारी (उत्तर प्रदेश): महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं भी अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं।

कुमारी शैलजा (हरियाणा): महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं भी अपने आपको इससे सम्बद्ध करती हूं।

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member. Sir, the Government should respond to this.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

SHRI T. K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

Need to fill the vacant posts of Chairman and Vice-Chairman in Intellectual Property Appellate Board (IPAB)

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sit, the Intellectual Property Appellate Board is an important judicial organ. It was set up through a Gazette Notification in 2003.

The main function of the IPAB is to hear appeals against the decisions of the Registrar of Trade Mark, Patent Controller and issues relating to Geographical Indicators and copyright cases. Sir, the headquarters of the IPAB is located in Chennai and has its branches in Kolkata and Delhi.

The aim to set up IPAB was for speedy disposal of cases and rectification of applications. As per provisions laid down under the Trade Marks Act and the Patent Act, any decision, on any matter, is to be given either by the Chairman and a Technical Member or by the Vice-Chairman and a Technical Member. But, Sir, the post of the Chairman is lying vacant for the past one-and-a-half years and the post of the Vice-Chairman is lying vacant for more than three-and-a-half years. Along with this, the posts of two Technical Members are also vacant. The vacant posts have led to obstruction of justice since functioning of the Board has come to a standstill and the disposal rate has become very low. Since the posts are lying vacant, the disposal rate of trade mark cases is now reduced to almost half — from 61 per cent to 38 per cent — and the pendency of cases has increased. Currently, there are 316 pending matters, including cases relating to patents and trade marks.

Sir, IPAB is an important judicial body which has, in the past, given important judicial decisions on Novartis and has been achieving milestones. The Government should appoint appropriate people on the posts of the Chairman, the Vice-Chairman, and the Technical Members. The concerns regarding the vacant posts have been brought to the notice of the Government. But, nothing has so far been done. Hence, I urge the Government to take appropriate steps to ensure that the judicial bodies in the country work efficiently and that they are able to cater to the needs of the people. Since, the IPAB, Chennai, is an important public institution, the vacant posts in this institution have paralyzed it. It is the foremost duty of the Government to take necessary steps, at the earliest, to fill the vacant posts with qualified individuals.